रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2017/ज्येष्ठ 10, 1939

No. 434] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2017/ JYAISTHA 10, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

सा.का.नि. 533(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, प्रूफ रीडर योधक पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, प्रूफ रीडर योधक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, प्रूफ रीडर योधक पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् –

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर – उक्त पदो की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, –

(अ) क्रम संख्यांक 1 पर उप निरीक्षक (प्रूफ रीडर) से संबंधित पद के सामने –

(I) स्तंभ (4) में, –

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा अर्थात् :–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"स्तर – 6 (रू. 35400 – 112400 / –)";

(II) स्तंभ 11 में, –

(क) "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति" उप–शीर्ष के अधीन, –

(i) मद (क) के उप–मद (ii) में, शब्दों एवं अंकों "वेतनमान रु. 5200 – 20200 में वेतन बैंड–1 तथा ग्रेड वेतन रू. 2800" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर"–5 (रु. 29200 – 92300/–)" शब्द एवं अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण–1, शब्दों एवं अंकों "वेतन ग्रेड रु. 2800" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर"–5 (रु. 29200 –92300/–) " शब्द एव अंक रखें जाएंगे;

(iii) टिप्पण–2 का लोप किया जाएगा;

(ख) "भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन" उप–शीर्ष के अधीन, टिप्पण–3 का लोप किया जाएगा;

(आ) क्रम संख्यांक 2 पर सहायक उप निरीक्षक (प्रूफ रीडर) से संबंधित पद के सामने, स्तभ (4) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"स्तर – 5 (रु. 29200 – 92300/–)"

[फा. सं. 17/125/2016–कार्मिक/सीसुबल]

प्रशान्त निकम, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम, भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 143, तारीख 16 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गये थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub- section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Proof Reader Combatised Posts, Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Proof Reader Combatised Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Proof Reader Combatised Posts, Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of post, classification and Level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the schedule,

(A) against serial number I, relating to the post of Sub-Inspector(Proof Reader)-,

(I) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :-

"Level - 6 (Rs. 35400 - 112400).";

(II) in column 11,-

(a) under sub-heading "Deputation (including short term contract)/Promotion",-

(i) in item (a), sub-item (ii), for the words and figures "pay band-I in the scale of Rs. 5200-20200 and Grade Pay Rs. 2800/-", the words and figures "Level-5 in the pay matrix Rs. 29200-92300/-" shall be substituted;

(ii) Note 1, for the words and figures "Grade Pay Rs. 2800/-", the words and figures "Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)" shall be substituted;

(iii) Note 2 shall be omitted;

(b) under sub-heading "For Ex-serviceman" Depuration/Re-employment", Note 3 shall be omitted.

(B) against serial number 2 relating to the post of Assistant Sub-Inspector(Proof Reader), for the existing entry under column (4), the following entry shall be substituted, namely:-

"Level - 5 (Rs. 29200-92300/-)".

[F. No. 17/125/2016-Pers/BSF]

PRASHANT NIKAM, Director (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, Section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 143, dated the 16th June 2012.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.01 23:04:26 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054